न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 86 / 2020 / 223 (2020 / 00086)

1. ग्राम पंचायत भगवानपुरा जरिये ग्राम विकास अधिकारी महेश गुर्जर, नि0 ग्राम पंचायत, भगवानपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भू—प्रबंध अधिकारी, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 16.12.2019 अंतर्गत वाद संख्या 85 / 2019.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 01.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भगवानपुरा में श्मशान व आबादी की आवंटनशुदा आराजियात वाकै ग्राम ताजपुरा, पटवार हल्का ताजपुरा, तहसील सरवाड़ की सरहद में स्थित है जिसके अनुसार ग्राम ग्राम ताजपुरा की श्मशान हेतु आवंटन आराजी का विवरण निम्न प्रकार हैः— खाता संख्या पुराने 1—1 के खसरा नंबर 449 रकबा 03—00—00 किस्म बा.1, नये 303—1 खसरा नंबर 522 / 1 रकबा 0.47 है0 बीड़ है । इसी प्रकार ग्राम ताजपुरा की आबादी हेतु आवंटन आराजी का का विवरण निम्न प्रकार हैः— खाता संख्या 1—1 के खसरा नंबर 431 रकबा 07—00 गै0मु0, खसरा नंबर 407 रकबा 51—12—00 गे0मु0, खसरा नंबर 433 रकबा 07—00—00 गे0मु0, एवं खसरा नंबर 433 रकबा 02—00—00 गे0मु0 है । वादवर्णित आराजी खसरा नंबर 449 इमरोज आवंटन से नाप चोक कर खसरा नंबर 449 में पूर्व से ही चले आ रहे शमशान की जगह आवंटन कर आवंटनशुदा श्मशान अंकित किया गया था । वादी को बिना सूचना के उक्त आराजी खसरा नंबर को भू—प्रबंध विभाग ने बिना कोई उचित आधार के राजस्व नक्शा मे खसरा नंबर 522 अलग—तरमीम अन्यत्र जगह कर दिया जिससे आराजियात का स्वरूप ही बदल गया जबकि उक्त आराजियात मौके पर आज भी चारागाह के रूप में काम आ रही है । वादवर्णित आराजी खसरा नंबर 662 को बिना किसी आधार के अधिकारी को किसी भी कानून या नियम के तहत ऐसा करने का अधिकार नहीं था जिससे उक्त इंद्राज खसरा नंबर 662 को दुरूस्त किया जाकर श्मशान के नाम इंद्राज किये जाने का निवेदन किया । भू—प्रबंध अधिकारी द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 443 ग्राम पंचायत ग्राम ताजपुरा में 7 बीघा भूमि

आबादी के लगवा होने से आबादी के रूप में आबादी हेतु आवंटित की थी तथा उक्त आबादी भूमि में पूर्व से ही ग्रामवासियों के मकानात व बाड़े बने हुए है किन्तु उक्त भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में इंद्राज करते समय खसरा नंबर 487 आबादी इंद्राज किया जाना चाहिये था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त आराजियात को सिवायचक जगह इंद्राज कर दिया गया जबकि आवंटन से लेकर आज दिवस तक आबादी खसरा नंबर 487, 491 में चला आ रहा है जिससे नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में खसरा नंबर 487 को सिवायचक विलोपित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसगंत है । आबादी ग्राम पंचायत के नाम इंद्राज किये जाने का निवेदन किया । इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को दिया गया । उक्त आराजियात राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग खसरा नंबर हो जाने से ग्राम पंचायत की आराजी का स्वरूप बदल गया है जिसे सही किया जाना न्यायोचित है । राजस्व रिकार्ड में एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में उक्त गलत इंद्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया । प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व लैण्ड हॉल्डर होने से एवं राजस्व रिकार्ड में संधारण होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 भू–प्रबंध अधिकारी है इसलिये पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है एवं वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजकीय सेवा में होने से 2 माह का नोटिस दिया जाकर दावा प्रस्तुत करने से दावे का औचित्य खत्म होने से धारा 80 (2) जा0दी0 के नोटिस में छूट दिया जाना न्यायसगंत है । वादी का वाद प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 20.6.2019 से दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है । अतः वाद में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2019 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सखसरा संख्या 662 रकबा 3 बीधा ग्राम ताजपुरा, तहसील सरवाड़ को आवंटन आदेश के अनुसार राजस्व नक्शा संवत् 2027 में वर्किंग खसरा नंबर 449 मिन रकबा 3 बीघा की भूमि श्मशान हेतु आवंटित की गई थी के अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शे में वर्तमान खसरा नंबर 662 की दुरूस्ती की जावे एवं साथ ही राजस्व अभिलेख में भी दुरूस्त किया जावे एवं खसरा नंबर 487 आबादी को भी राजस्व अभिलेख मे दुरूस्त किया जावे । इस संदर्भ में वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावज जमाबंदी संवत् 2076 खाता संख्या 300 एवं जमाबंदी संवत् 2074–75 खाता संख्या 300, जमाबंदी संवत् 2075–75 खाता संख्या 1, जमाबंदी संवत् 2074–75 खाता संख्या 303, जमाबंदी संवत् 2067–2070 खाता संख्या 1 एवं नक्शा ट्रेस तथा मिलान क्षेत्रफल जो कि विवादित भूमि श्मशान जो कि ग्राम ताजपुरा तहसील सरवाड़ में स्थित है के संदर्भ में पेश किय गये किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त दस्तावेजों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग रकबा 3 बीघा भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा श्मशान हेतु आवंटित भूमि का नामांतकरण संख्या 742 दिनांक 31.8.2012 को स्वीकृत किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में आवंटन आदेश अनुसार श्मशान दर्ज की गई जबकि वर्किंग खसरा नंबर 449 का ही भाग की भूमि चारागाह हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा दिनांक 12.12.2012 को आवंटित की गई कि जिसके संदर्भ में

नामांतकरण संख्या 762 दिनांक 18.12.2012 को स्वीकृत किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में चारागाह दर्ज की गई जबकि वर्किंग खसरा नंबर 449 के एक भाग 3 बीघा भूमि पर श्मशान जो कि ग्राम ताजपुरा तहसील सरवाड़ में बसा उसी समय से यानि करीब 150 वर्षो से श्मशान के उपयोग में ही ली जाती रही है । इस प्रकार वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग वर्तमान खसरा नंबर 662 है के स्थान पर वर्तमान खसरा नंबर 522 रकबा 0.47 है0 का इंद्राज गलत किया गया है जबकि वर्तमान खसरा नंबर 522 जो कि चारागाह भूमि है तथा चारागाह भूमि खसरा नंबर 522 से करीब आधा किलो मीटर दूरी पर श्मशान स्थल की भूमि कि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 662 है परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में भी श्मशान की भूमि को चारागाह भूमि से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर गलत तरमीम कर दिया गया है जबकि राजस्व नक्शा संवत् 2027 में लाल स्याही से जो तरमीम की गई है के अनुसार वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग एवं श्मशान स्थल के खसरा नंबर 662 है, के अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शे एवं साथ ही वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इंद्राज दुरूस्ती किए जाने के संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा इस संदर्भ में तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट तलब नहीं की गई जबकि ग्राम पंचायत के द्वारा लिए गए प्रस्ताव में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि श्मशान स्थल जो कि वर्तमान खसरा नंबर 662 ही है । बहस में आगे कथन किया कि वर्किंग खसरा नंबर 449 रकबा 3 बीघा की भूमि आवंटन अधिकारी के आवंटन की गई थी जिसका राजस्व नक्शा संवत् 2027 के अनुसार श्मशान स्थल के पूर्व में नाला वर्किंग खसरा नबर 555 के वर्तमान खसरा नंबर 665, पश्चिम में सरकारी भूमि खसरा नंबर 449 के वर्तमान खसरा नंबर 662, उत्तर में रास्ता वर्तमान खसरा नंबर 663 जो रास्ता ताजपुरा से इरनिया जा रहा है बाद वर्किंग खसरा नंबर 449 मिन के वर्तमान खसरा नंबर 527 जो कि सांवरा पुत्र रामलाल जाट की भूमि है तथा दक्षिण में वर्तमान खसरा नंबर 666 के वर्तमान खसरा नंबर 453 है । इस प्रकार इन सीमाओं के मध्य स्थित वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग 3 बीघा भूमि ही आवंटन अधिकारी के द्वारा दिनांक 3.8.2012 को आवंटित की गई थी एवं इसी अनुकूल राजस्व नक्शा संवत् 2027 में भी लाल स्याही से श्मशान की भूमि तरमीम की गई है परन्तु भू–प्रबंध विभाग के द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शे में बिना किसी आधार के गलत तरमीम करते हुए वर्तमान खसरा नंबर 522 जो चारागाह भूमि है कि जिसे श्मशान स्थल दर्शाया गया है तथा वर्तमान खसरा नंबर 662 जो श्मशान स्थल की भूमि है जिसे गलत रूप से चारागाह दर्शाया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष सरपंच का साक्ष्य शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिस पर अधी0न्याया0 के द्वारा बिना किसी आधार के शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया तथा जवाब में भी यही दर्शाया कि श्मशान स्थल की भूमि कि जिसके वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग वर्तमान खसरा नंबर 662 ही है एवं वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग के वर्तमान खसरा नंबर 522 चारागाह की भूमि है के अनुकूल दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी का वाद स्वीकार कर वर्तमान खसरा नंबर 662 रकबा 0.47 है0 श्मशान की भूमि ग्राम ताजपुरा तहसील सरवाड़ को वर्तमान राजस्व नक्शे में एवं वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दुरूस्त करवाया जावे एवं साथ ही वर्तमान खसरा नंबर 522

को वर्तमान राजस्व नक्शे में एवं वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.2.2020 को हुई जिस पर अपीलांट ने प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 14.2.2020 को ही आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 25.2.2020 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत् है । ग्राम ताजपुरा के खसरा नंबर 449/1 में से 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रंमाक/कअ/राजस्व/एफ 12 (सी)/12/202 दिनांक 12.12.2012 द्वारा सिवायचक से चारागाह घोषित की गई है जो नियमानुसार सही है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद को खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है । हम न्यायहित मे अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । ग्राम ताजपुरा तहसील सरवाड़ स्थित वर्किंग खसरा नंबर 449 का एक भाग रकबा 3 बीघा भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत भगवानपुरा को सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ आवंटित की गई तथा नामांतकरण संख्या 742 दिनांक 31.8.2012 को स्वीकृत किया जाकर खसरा नंबर 449/1 रकबा 41–13–00 बीघा में से 3 बीघा भूमि ग्राम ताजपुरा ग्राम पंचायत भगवानपुरा के श्मशान प्रयोजनार्थ जमाबंदी संवत् 2075 में अंकित किया गया है । इसी प्रकार वर्किंग खसरा नंबर 433 रकबा 7 बीघा भूमि आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत ताजपुरा को आवंटित की गई है । उक्त भूमि पर पूर्व से ही ग्रामवासियों के मकानात एवं बाड़े बने हुए है । उपरोक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख बनाते समय श्मशान हेतु आवंटित 3 बीघा भूमि जो खसरा नंबर 449/1 जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में तरमीम कर दर्ज की गई उसका वास्तविक खसरा नंबर 662 दर्ज होना चाहिये था परन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा वर्तमान खसरा नंबर 662 के स्थान पर खसरा नंबर 522 दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा नंबर 522 चारागाह भूमि है तथा खसरा नंबर 622 से करीब आधा किलोमीटर दूर है। मौके पर खसरा नंबर 449/1 वर्तमान खसरा नंबर 662 श्मशान हेतु ग्रामवासियों द्वारा उपयोग में ली जा रही है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा प्रदर्श–20 दिनांक 12.2.2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्राम पचांयत द्वारा कथन किया है कि खसरा नंबर 449 को वर्तमान राजस्व नक्शे में दुरूस्त किया जावे । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के साथ दिनांक 12.12.2019 भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट की छाया प्रति

पेश की है जिसमें खसरा नंबर 449/1 रकबा 41–13–00 में से जरिये नामांतकरण संख्या 742 दिनांक 31.8.2012 को आवंटन होने से खसरा नंबर 854/449 रकबा 3 बीघा पर श्मशान भूमि ग्राम ताजपुरा सार्वजनिक श्मशान अंकन स्वीकार हुआ है तथा खसरा नंबर 449/1 के नवीन खसरा नंबर 662 चारागाह भूमि दर्ज कर दिया है तथा खसरा नंबर 522 में श्मशान भूमि दर्ज कर दी है जबकि वर्तमान खसरा नंबर 522 मौके पर पड़त है एवं वर्तमान खसरा नंबर 662 मौके पर श्मशान है । वर्तमान राजस्व नक्शा के अनुसार खसरा नंबर 449/1 का भाग खसरा नंबर 854/449 रकबा 3 बीघा भूमि वर्तमान स्थिति के अनुसार खसरा नंबर 662 रकबा 1.68 है0 में से रकबा 0.47 है0 ग्राम ताजपुरा के श्मशान हेतु अंकित किये जाना उचित होगा, की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की गई । इस रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा भी संलग्न है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में मौका रिपोर्ट संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी द्वारा राजस्व नक्शा दिनांक 24.11.2017 में भी खसरा नंबर 449 मिन रास्ते के दक्षिण दिशा में श्मशान अंकित है । इस प्रकार वर्तमान राजस्व नक्शा एवं वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–75 के खाता संख्या 303 में खसरा नंबर 522/1 श्मशान भूमि एवं वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–75 के खाता संख्या 300 के वर्तमान खसरा नंबर 622 चारागाह भूमि गलत दर्ज की गई है जबकि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–75 के खाता संख्या 300 में वर्तमान खसरा नंबर 622 रकबा 1.68 है0 में से 0.47 है0 रकबा श्मशान भूमि ग्राम ताजपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज किया जाना चाहिये था । इसी प्रकार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–75 के खाता संख्या 303 के खसरा नंबर 522/1 रकबा 0.47 है0 श्मशान की भूमि के स्थान पर चारागाह ग्राम पंचायत ताजपुरा दर्ज करना चाहिये था तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में भी दुरूस्ती की जानी वांछित थी परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा वाद संख्या 85/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य भू–अभिलेख निरीक्षक, भगवानपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2019 एवं मौका पर्चा भू–अभिलेख निरीक्षक, भगवानपुरा दिनांक 11.12.2019 की फोटो प्रतियां अधी0न्याया0 को पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर